बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक 06 / पणन(स0)–72 / 2025 / पटना, दिनांक– ....

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰),
बिहार, पटना।

विषय :– **बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत सब्जी संघ से सम्बद्ध कुल 386 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) में से इच्छुक एवं चयनित PVCS में कुल 3060 एकड़ भूमि पर हाइब्रिड किश्म के मिर्च, प्याज एवं पायलट अधार पर ओल (सूरन) उत्पादन करने हेतु हाइब्रिड किस्म के बीज के क्रय पर होने वाले व्यय रू 4,21,37,000,00 / – एवं हाइब्रिड किस्म के मिर्च, प्याज एवं ओल (सूरन) के उत्पादन में संलग्न सदस्य किसानों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय रू 62,40,000 अर्थात कुल राशि रू 4,83,77,000 (चार करोड़ तिरासी लाख सतहत्तर हजार रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय के निमित्त योजना की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत सब्जी संघ से सम्बद्ध कुल 386 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) में से इच्छुक एवं चयनित PVCS में कुल 3060 एकड़ भूमि पर हाइब्रिड किश्म के मिर्च, प्याज एवं पायलट अधार पर ओल (सूरन) उत्पादन करने हेतु हाइब्रिड किस्म के बीज के क्रय पर होने वाले व्यय रू 4,21,37,000,00 / – एवं हाइब्रिड किस्म के मिर्च, प्याज एवं ओल (सूरन) के उत्पादन में संलग्न सदस्य किसानों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय रू 62,40,000 अर्थात कुल राशि रू 4,83,77,000 (चार करोड़ तिरासी लाख सतहत्तर हजार रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025–26 अंतर्गत प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा पूंजी, 50 प्रतिशत अनुदान एवं 25 प्रतिशत ऋण के रूप में प्रावधानित होगा, जो निम्नरूपेण विकलनीय होगा:–

क्र॰स॰	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
i.	मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2425 सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उप शीर्ष–0116 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, विपत्र कोड–09–2425001080116	2,41,88,500 / –
ii.	मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–108 अन्य सहकारी समितियों में निवेश, उप शीर्ष–0166 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–54 निवेश, विषय शीर्ष–01 निवेश, विपत्र कोड–09–4425001080166	1,20,94,250 / –
	कुल राशि	3,62,82,750 / –

[illegible] है। प्रथम अनुपूरक से ऋण मद से राशि प्राप्त होने के पश्चात ऋण

3. PVCS को सरकारी ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी राशि की वसूली के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का दायित्व बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन का होगा, जिसके अनुसार ऋण वसूली की पूर्ण जिम्मेदारी बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि० की होगी।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत राशि की निकासी कर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना के खाते में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक–26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक 4989/वि0(2) दिनांक 16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ हीं उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 (अठारह) माह के अंदर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ के माध्यम से सहकारिता विभाग को प्राप्त करायेंगे।

8. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत गठित चारों सब्जी संघों (हरित, तिरहुत, मिथिला एवं मगध सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि॰) द्वारा अपने–अपन क्षेत्र अंतर्गत क्रमशः 1000,2000 एवं 60 (पायलट आधार पर) एकड भूमि पर हाइब्रिड किस्म के मिर्च, प्याज एवं ओल (सूरन) की खेती करने हेतु PVCS को कार्यशील पूजी के रूप में सहायता प्रदान करना एवं हाइब्रिड किस्म के मिर्च, प्याज एवं ओल (सूरन) के उत्पादन में संलग्न सदस्य किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। योजना अंतर्गत प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता, कुल बीज की आवश्यकता, कुल बीज की लागत का आकलन निम्न तालिका में प्रदर्शित है।

क्र. सं.	सब्जियों का नाम	आच्छादित PVCS की संख्या	प्रति PVCS उत्पादित क्षेत्र (एकड़ में)	खेती हेतु कुल क्षेत्रफल(एकड़ में)	प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता (Kg)	कुल बीज की आवश्यकता (Kg)	बीज की लागत रु./किग्रा	कुल बीज लागत (INR)
1	मिर्च	100	10	1000	0.121	121	45,000.00	54,45,000.00
2	प्याज	100	20	2000	4.04	8080	2,450.00	1,97,96,000.00
3	ओल	20	3	60	3200	192000	88.00	1,68,96,000.00
कुल वित्तीय परिव्यय								**4,21,37,000.00**

प्रति एकड़ आवश्यक बीज क्रय करने हेतु अनुमानित बीज मूल्य एवं वास्तविक बीज मुल्य दोनों में से जो भी कम होगा उसी दर पर बीज का क्रय किया जाएगा।

कृ0पृ0उ0

9. इस योजना अंतर्गत मिर्च, प्याज एवं ओल (सूरन) की खेती हेतु कृषि वैज्ञानिक(Associate-Deen-Cum-Principal, Nalanda College of Horticulture, Noorsarai) से बैठक में विचार विमर्श उपरांत निम्नलिखित हाइब्रिड एवं उच्च उत्पादक प्रभेदों का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है।

ओल–गजेन्द्र।

प्याज–जीराट, सुखसागर, चिराट, बिलौरिया, रबी फसल चक्र के लिए एग्रीफाउंड लाइट रेड (गबरान), **NHRDF** रेड–3 एवं **NHRDF** रेड.4 एवं खरीफ फसल चक्र के लिए एग्रीफाउंड डार्क रेड, **K-883**, अर्का कल्याण आदि अन्य क्षेत्रिय रूप से उपयुक्त उन्नत किस्में।

मिर्च– दहिया, उन्नति, सुनिधि, ईगल, **Denvour Delux,VNR 446** आदि अन्य क्षेत्रीय रूप से उपयुक्त उन्नत किस्में।

10. राज्य में उक्त प्रभेदों की हाईब्रिड किस्म के मिर्च, प्याज एवं ओल (सूरन) के बीज की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित सरकारी उपक्रम/संस्थानोंजैसे बिहार राज्य में बागवानी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु बिहार राज्य बागवानी मिशन के अंतर्गत Centre of Excellence For Vegetable, Chandi, Nalanda, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास फाउंडेशन (NHRDF), हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड (HIL), बिहार राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम लि० जैसे संस्थानों की प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यकतानुसार, वेजफेड द्वारा इन संस्थाओं के अतिरिकत अन्य प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्त्ताओं के चयन हेतु निविदा प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अथवा बिहार सरकार के विभाग यथा कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय, बिहार राज्य बीज निगम आदि द्वारा empaneled agencies से निर्धारित संघ द्वारा आपूर्ति की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

11. यह योजना दो वित्तीय वर्षो के लिए प्रस्तावित है। योजना अंतर्गत PVCS को मिर्च, प्याज एवं ओल (सूरन) के बीज क्रय हेतु कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराया जायेगा। PVCS द्वारा उक्त कार्यशील पूंजी से क्रय किए गए मिर्च, प्याज एवं ओल (सूरन) के बीज को इच्छुक कियानों को उपलब्ध कराया जायेगा। बीज प्राप्त करने वाले प्रत्येक किसान को बीज हेतु कुल इंडेट राशि का 25% संबंधित PVCS को जमा करना अनिवार्य होगा। किसान को उपलब्ध कराये गये बीज से उत्पादित मिर्च, प्याज एवं ओल (सूरन) के विपणन से प्राप्त राशि से संबंधित PVCS द्वारा शेष 75% बीज का मूल्य किसान से वापस प्राप्त किया जायेगा ताकि हाइब्रिड किस्म के मिर्च, प्याज एवं ओल (सूरन) उत्पादन हेतु कार्यशील पूंजी लगातार अगले वर्षों में उपयोग के लिए PVCS के पास बना रहे।

12. उक्त योजना अंतर्गत निर्धारित कार्यों को गुणवतापूर्ण एवं ससमय संपन्न करने हेतु वेजफेड पटना द्वारा संबंधित पदाधिकारीयों के लिए उनके कर्तव्य एवं दायित्व का निर्धारण करते हुए एक SOP तैयार किया जाएगा। उक्त SOP के तहत संबंधित पदाधिकरी की पूर्ण जिम्मेवारी होगी की कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण हो।

13. PVCS के सदस्य किसानों के ओल, प्याज एवं मिर्च की हाईब्रिड किस्म की ओल, प्याज एवं मिच्र की खेती करनें हेतु प्रति हेतु प्रति एकड़ पर दो किसानों का आकलन करते हुए प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन देने वाले एवं ERP पर आकंडे upload करने वाले किसानों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जायेगा। हाइब्रिड किस्म के प्याज एवं मिर्च की खेती हेतु प्रत्येक एकड़ में 02 सब्जी उत्पादक किसान संलग्न होंगे। पायलट योजना के आधार पर ओल की खेती हेतु प्रति एकड़ 4 किसानों को संलग्न किया जाएगा इस प्रकार चारों संघ अंतर्गत कुल 6240 किसानों को प्रशिक्षण पर (प्रति किसान 1000 की दर से) 62,40,000 (बासठ लाख चालीस हजार रूपये) व्यय किया जाएगा।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 06/पणन(स0)–72/2025 के पृष्ठ संख्या ......14...../टि0 पर दिनांक– 10.07.25को प्राप्त है।

15. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या– 06/पणन(स0)–72/2025 के पृष्ठ संख्या ......15.../टि0 पर दिनांक– ......10.07.25को प्राप्त है।

ह0/–

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक.........215........../पटना, दिनांक 11/07/2025
06/पणन(स0)–72/2025

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा, बिहार, पटना)/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, [illegible] विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय